न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 28.09.2021

रण सख्या: 96/21

सीएमएस नं. 2021/216

उनवान

मौसम बाई बनाम अजयसिंह वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
एवं सिलसिले दावा विभाजन व
हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए.

अधिवक्ता :–

1 श्री प्रकाश चन्द	—प्रार्थी/प्रति.सं. 5
2 श्री सुरेन्द्र चौधरी	—अप्रार्थीया/वादिनी

निर्णय दिनांक 08/05/2026

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व सिलसिले दावा पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिनी ने श्रीमान न्यायालय में दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. पेश किया गया है।

वादिनी आराजी खसरा नंबर 338 रकबा 0.27 हैक्टे. व खसरा नंबर 319 रकबा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम नारौली तह. भुसावर में स्थित है, का विभाजन करवाना चाहती है, जबकि उक्त खसरा नंबर 338 व 319 में राज प्लाजा नाम से होटल संचालित हो रहा है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 338 व 319 में होटल संचालित होने की वजह से उक्त विवादित जमीन कॉमर्शियल उपयोग में आ रही है ना कि कृषि उपयोग में। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 338 व 319 से संबंधित मुकदमा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, जबकि राजस्व न्यायालय को नहीं है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र को राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने पर बल्कि सिविल न्यायालय का सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने की वजह से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है। अतः वाद खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अप्रार्थीया (वादिनी) अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया। अतः उनका जवाब बन्द किया गया।

इस प्रकरण में आराजीयात से संबंधित प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) अधिवक्ता द्वारा फॉर्म संख्या 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया, उनमें भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में होटल राज प्लाजा थानाधिकारी खेडली मोड द्वारा इंगित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का भली भांति अध्ययन किया गया।

अतः बहस पर मनन करने पर पाया गया कि आराजी खसरा नंबर 338 व 319 में राज प्लाजा होटल संचालित है। जमीन कॉमर्शियल उपयोग में आ रही है न कि कृषि उपयोग में। अतः मुकदमे को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है।

उक्तानुसार पाया गया कि अप्रार्थीया (वादिनी) को उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया, जो विधि द्वारा पूरी तरह से वर्जित होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व सिलसिले दावा स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)